बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की आहूत छठी बैठक की कार्यवाही

दिनांक–02.09.2021, समय : 11.00 पूर्वाह्न

उपस्थितिः– यथा पंजी

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की चौथी एवं पांचवी (विशेष) बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन पर्षद् के समक्ष रखा गया। अनुपालन के क्रियान्वयन को उसके संबंध में निम्न टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया गया।

(क) चौथी बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की कंडिका–4 के संबंध में डॉ॰ डी॰ एन॰ सिंह, विशेषज्ञ सदस्य ने उल्लेख किया कि वर्ष 2017–2018 के ऑडिट रिपोर्ट में परिसंपत्तियाँ (Assets) के कॉलम में कोई प्रवृष्ठि नहीं है, जो सही प्रतीत नहीं हो रहा है। इस संबंध में अभिलेखों में यह पाया गया कि वर्ष 2017–2018 में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् कार्यालय का अपना कोई उपस्कर/उपकरण नहीं था। उस अवधि में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के ही उपस्कर/उपकरण/संसाधनों का उपयोग किया गया, अतएव ऑडिट रिपोर्ट में परिसंपत्तियों के कॉलम में कोई प्रविष्टि नहीं है। आंतरिक अंकेक्षण के उपरान्त महालेखाकार द्वारा भी नियमानुसार अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) विरासत स्थल घोषित करने के संबंध में डॉ॰ डी॰ एन॰ सिंह, विशेषज्ञ सदस्य द्वारा कहा गया कि विरासत स्थल घोषित करने के पूर्व एक नियमावली बना ली जाय।

(ग) अनुपालन के कंडिका–8 के संबंध में श्री पी॰ आर॰ सिंह, विशेषज्ञ स्दस्य ने कहा कि–

(i) जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राज्य के विभिन्न जैव प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नीति निर्देशक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार किया जाय।

(ii) बिहार के विभिन्न प्रजातियों एवं देशज जैव प्रभेदों–यथा दाल, आम आदि जो विलुप्ति के कगार पर हैं, के संरक्षण के लिए योजनाएँ बनायी जानी

चाहिए, जिसमें इन देशज प्रजातियों के संरक्षण के लिए Seed bank हो, साथ ही बिहार के व्यक्तियों/संस्थाओं को भी चिन्हित किया जाय जो पूर्व से ही विभिन्न जैव प्रजातियों, प्रभेदों का उत्पादन कर संरक्षण कार्य भी कर रहे हैं।

सहायक निदेशक, बिहार कृषि प्रबंधन, विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (BAMETI), श्री नरेन्द्र द्वारा सूचित किया गया कि विलुप्त प्राय देशज प्रजातियों के Germplasm को संरक्षित करने के लिए कृषि विभाग ने योजना तैयार की है, एवं भारत सरकार के स्तर पर भी ऐसे जैव प्रजातियों के Germplasm संरक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। राज्य के विभिन्न कृषि फसलों के चार प्रभेदों को GI Tag भी प्राप्त हो चुका है।

2. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत बजट (485.00 लाख रूपये) के अंतर्गत पर्षद् के विभिन्न कार्य अवयवों में कुल 478.47 लाख रूपये के व्यय के प्रस्ताव को निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किराये के वाहन लिए जाने के निर्णय के फलस्वरूप वाहन किराया मद में प्रस्तावित राशि 22.15 लाख रूपये के स्थान पर विभाग द्वारा स्वीकृत दर/एजेंसी के वाहन लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

3. वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2021–22 के प्रस्ताव को निम्न टिप्पणियों एवं संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया।

(क) ● कार्यावली संख्या–3(4) के संबंध में डॉ॰ डी॰ एन॰ सिंह, विशेषज्ञ सदस्य द्वारा कहा गया कि जैव विविधता महत्व के पौधों का रोपण कार्य वन विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। यह जैव विविधता पर्षद् द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिये, कार्यवाही में उनकी यह आपत्ति (Dissent) दर्ज की जाय।

इस संबंध में कार्यावली सं०–3(4) के पृष्ठ सं०–30 की पंक्ति 20 में यह अंकित गया है– "इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न वन प्रमंडलों द्वारा किया जायेगा।"

- विमर्श के क्रम में यह प्रश्न आया कि पौधे जब विभाग के ही पौधाशाला से प्राप्त किए जायेंगे, तो प्राक्कलन में पौधाशाला का प्रावधान क्यों किया गया है?

इस संबंध में यह अवगत कराया गया कि इस योजना में वन विभागीय पौधशालाओं में ही चयनित प्रजाति के एक वर्ष पुराने पौधों को 70 से॰ मी॰ x 75 से॰ मी॰ आकार (500 गेज) के थैलियों में लगभग डेढ़ वर्षों तक रख–रखाव कर 4 मी० लम्बे एवं 20 से॰ मी॰ कॉलर गर्थ के पौधे तैयार किए जायेंगे। वन विभागीय स्थायी पौधशाला में ही इन पौधों को रखकर अनुरक्षण किया जायेगा। इस पर व्यय के लिए बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा संबंधित वन प्रमंडलों को प्राक्कलन के अनुरूप राशि हस्तानांतरित की जायेगी।

(ख) कार्यावली सं०–3(6) में विरासत वृक्षों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण योजना के संबंध में डॉ॰ डी॰ एन॰ सिंह, विशेषज्ञ सदस्य द्वारा कहा गया, कि विरासत वृक्ष (Heritage Tree) का प्रावधान जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं जैव विविधता नियमावली, 2004 तथा बिहार जैव विविधता नियम–2017 में नहीं है, अतएव पहले इसका प्रावधान नियमावली में किया जाय तत्पश्चात् इसका कार्यान्वयन किया जाय।

इस संबंध में सूचित किया गया कि यदि किसी विषय पर अधिनियम में प्रावधान नहीं है, तो उसके क्रियान्वयन का प्रावधान नियमावली में नहीं किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य पचास वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों का सर्वेक्षण एवं उनके संरक्षण के लिए आमजनों में जागरूकता पैदा

करना है। ये वृक्ष 50 वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रहे हैं, अतएव इनके सुरक्षा के लिए अलग से वैधानिक प्रावधान करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसके लिए वैधानिक प्रावधान करने पर इसे लागू करने लिए काफी संख्या में मानव वल की जरूरत होगी, जिसकी न तो आवश्यकता है, और न उपादेयता है। स्थानीय लोगों के इस संबंध में जागरूक होने पर इस प्रकार के सर्वेक्षित पौधों का संरक्षण एवं सुरक्षा प्रभावी रूप से हो सकेगा। पिछले 50–60 वर्षों से वृक्षों की सुरक्षा स्थानीय लोगों द्वारा ही की गयी है। विशेषज्ञ सदस्य के उपर्युक्त टिप्पणी के साथ इस योजना को अनुमोदित किया गया।

(ग) कार्यावली सं०–3(7) के संबंध में डॉ॰ डी॰ एन॰ सिंह, विशेषज्ञ सदस्य द्वारा कहा गया कि इस प्रकार की छोटी योजनाओं के लिए पर्षद् के पदाधिकारी प्राधिकृत हैं, अतएव इसे पर्षद् में नहीं लाया जाना चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि किसी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना उस वर्ष के प्रथम त्रैमासिक में या उसके पूर्व ही मार्च माह में पर्षद् की बैठक कर अनुमोदित करा ली जाय। इस वर्ष की कार्य योजना की प्रस्तुति में विलम्ब के संबंध में यह सूचित किया गया कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के वर्त्तमान सचिव का इस पर्षद् के सचिव का अतिरिक्त प्रभार है, एवं वे इसके अलावे तीन अन्य प्रभारों में भी हैं, जिसके कारण पर्षद् के कार्यों के लिए समय देना उनके लिए कठिन होता है। पर्षद् के लिए एक स्वतंत्र सचिव होने पर यह कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा साथ ही इस वर्ष Covid-19 के कारण भी वर्ष 2021–22 की कार्य योजना अनुमोदन हेतु विलम्ब से प्रस्तुत हुई है।

उपर्युक्त टिप्पणी के साथ योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी तथा भविष्य के लिए नोट दिया गया।

4. वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत बजट के विषय शीर्ष सहायक अनुदान गैर–वेतन के अंतर्गत जन जैव विविधता पंजी (PBR) निर्माण अवयव के लिए पर्षद् द्वारा कर्णांकित राशि 130.93 लाख रूपये के स्थान पर 168.07164 लाख रूपये के व्यय का घटनोत्तर अनुमोदन किया गया। यह राशि सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के उपरोक्त विषय शीर्ष–सहायक अनुदान गैर–वेतन मद में स्वीकृत बजट के अंतर्गत है।

5. आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। सदस्यों द्वारा लेखा के संधारण में सुझाव दिये गये। विचारोपरान्त पर्षद् के 2019–20 तथा 2020–21 के लेखा के आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया, एवं यह निदेशित किया गया, कि पर्षद् के लेखा को महालेखाकार से भी लेखा परीक्षण करा लिया जाय।

ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के द्वारा आवंटन दिया जाता है, तथा इसकी निकासी विपत्र के माध्यम से CFMS द्वारा की जाती है। फलस्वरूप वन विभाग के परम्परागत लेखा संधारण की प्रक्रिया में विपत्र की राशि पर्षद् के रोकड़ी बही में नहीं आ पाती है।

ऐसी परिस्थिति में Tally पद्धति से लेखा संधारण वाह्य स्त्रोत से कराने हेतु सचिव को प्राधिकृत किया गया। इसके लिए वे निविदा या कोटेशन प्राप्त कर एजेंसी का चयन करेंगे तथा अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन देंगें।

Tally System (Software) से लेखा संधारित करने से कोषागार या बैंक से निकासी की राशि का विवरण प्राप्त हो सकेगा, जिससे चार्टर्ड

अकाउंटेंट (CA) द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के संधारण में सुगमता हो सकेगी। Cash book का संधारण पूर्व की भाँति होगा।

6. पर्षद् के लेखा के आंतरिक ऑडिट (Internal Audit) हेतु चयनित एजेंसी तथा उसको भुगतान की जाने वाली राशि 48,000/– रूपये प्रतिवर्ष की दर से तीन वित्तीय वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया।

7. NBA के dashboard पर BMC तथा PBR की सूचना Upload करने के लिए माह दिसम्बर, 2020 से ही (22.01.2021, 26.02.2021, 26.03.2021, 28.04.2021, 27.05.2021, 25.06.2021) की बैठकों में निदेश दिया जाता रहा है। इस संबंध में दिनांक 28.07.2021 को NBA का एक अर्द्ध सरकारी पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसमें माह जून, 2021 तक प्रगति के वाद माह जुलाई में प्रगति शून्य होने का उल्लेख किया गया है।

ऐसी परिस्थिति में चार माह के लिए आकस्मिक रूप से नियोजित Computer Operator को उनके द्वारा किए गये कार्यों के लिए भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार के O.M. No.-19047/10/2016-E-N, दिनांक 12.04.2017 के आधार पर निगम/बोर्ड/समितियों की बैठकों के लिए गैर–सरकारी सदस्यों के लिए बैठक भत्ता निर्धारित किया गया है। इस पर्षद् के बैठको के लिए गैर–सरकारी सदस्यों का बैठक भत्ता निर्धारित हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा। तत्काल गैर–सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए Economic class के हवाई यात्रा का वास्तविक किराया भत्ता अनुमोदित किया गया।

9. Programming Officer के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव के संबंध में उल्लेख करना है, कि सरकार के पत्रांक–2/वन्यप्राणी–13/2017–1708(ई०), दिनांक 03.12.2019 द्वारा MIS Officer (Programmer) पद के सृजन आदेश में Beltron से पदाधिकारी प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। Beltron से इस पद के लिए पदाधिकारी उपलब्ध कराने हेतु अनेक स्मार तथा मौखिक रूप से अनुरोध किया गया है, परन्तु Beltron द्वारा अबतक कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस स्थिति में खुले विज्ञापन के माध्यम से चयन कर नियुक्ति हेतु सरकार की अनुमति प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

10. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् कार्यालय के विभिन्न पदों यथा उप निदेशक, लेखा पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति के क्रम में कार्यालय सहायक के अतिपिछड़ा वर्ग आरक्षित कोटि में श्री अरूण कुमार के नियोजन के लिए चयन समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया, तथा शेष पदों जिसके लिए चयन समिति द्वारा कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई उसके लिए पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

11. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की दिनांक 26 फरवरी, 2019 की बैठक में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर (बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित दर पर) तथा दो आदेशपाल (अकुशल मजदूर की दर पर) की सेवायें अस्थायी रूप से लेने की स्वीकृति दी गयी है।

कम्प्यूटर ऑपरेटर को बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान का अनुमोदन किया गया। आदेश पाल (अकुशल मजदूर) को कुशल मजदूरी देने हेतु श्रम संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०–289, दिनांक–26 फरवरी, 2019 दृष्टव्य है, जिसमे किसी कोटि (अकुशल एवं अर्द्धकुशल) में पाँच या पाँच वर्षों

से अधिक तक का कार्य अनुभव होने पर किसी कामगार को उस कोटि से तत्काल उपर की कोटि में उन्नत माना जायेगा।

वर्त्तमान में आदेशपाल को दो वर्ष का ही कार्य अनुभव है अतः इन्हें अकुशल कामगार की श्रेणी में रखा जायेगा।

12. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के कार्यालय के लिए निम्न चार नये पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया–

(i)	वैज्ञानिक पदाधिकारी (वैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग एवं जी० आई० एस० एप्लीकेशन)	–	01
(ii)	कम्प्यूटर ऑपरेटर	–	02
(iii)	आशुलिपिक	–	01
(iv)	कार्यालय परिचारी	–	02

13. पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के लिए परामर्शी समिति के अनुरूप जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों के कार्यकाल के विस्तार हेतु सरकार को भेजे गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

14. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के कर्मियों की सेवा नियमावली तैयार करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया।

15. **अन्यान्य**

पर्षद् कार्यालय में विभिन्न पदों पर पदस्थापित सेवा निवृत् पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रचलित महंगाई भत्ते की स्वीकृति का प्रस्ताव बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम 18 (1) के आलोक में सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

29.9.21

(संजय कुमार सिन्हा)
सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

29.9.21

(डी० के० शुक्ला)
अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

ज्ञापांक 970- 305, दिनांक 01.10.2021

प्रतिलिपिः– (1) प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना।

(2) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

(3) सचिव, कृषि विभाग, पटना।

(4) सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

(5) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना।

(विशेषज्ञ सदस्य)

(1) श्री पी० आर० सिन्हा, सेवानिवृत्त, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून एवं कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिव आई० यू० सी० एन०, इंडिया, राष्ट्रीय वन्यजीव पर्षद् के सदस्य।

(2) डॉ० द्विजेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरूणाचल प्रदेश एवं पूर्व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/9/21

(संजय कुमार सिन्हा)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

ज्ञापांक 970- 305, दिनांक 01.10.2021

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/21

(संजय कुमार सिन्हा)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।